(56)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,झालावाड

पीठासीन अधिकारी: अजय सिंह राठौड़, आई0ए0एस0

मि0नं0 34 / अपील / 20 **तारीख दायरा :11.08.2020**

उनवान अपील

फूलचन्द पुत्र हीरालाल जाति तंवर निवासी कुशलपुरा तहसील बकानी जिला झालावाड़ राजस्थान अपीलार्थी

बनाम

01. दिनेश पुत्र हीरा
02. धापूबाई पत्नी स्व0 हीरा
03. नन्दूबाई पुत्री हीरा
04. पंकेश पुत्र हीरा
05. प्रहलाद पुत्र शंकर
06. फोरसिंह पुत्र हीरा
07. बालचन्द पुत्र हीरा
08. शान्तिबाई पत्नी स्व0 शंकर जातियान लोढ़ा (तंवर) निवासीगण कुशलपुरा तहसील बकानी जिला झालावाड़ राजस्थान
09. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड़
10. प्रभारी अधिकारी ग्राम विकास शिविर आगरिया जर्ये तहसील बकानी जिला झालावाड़

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 671 ग्राम विकास शिविर केम्प आगरिया दिनांक 02.06.1993 ।

उपस्थितः श्री शैलेन्द्र पोषवाल, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री तंवरसिंह झाला, अभिभाषक अपीलान्ट

श्री अमरसिंह लववंशी रेस्पो0 01 लगायत 04, 06 व 07

श्री मुकेश लोधा रेस्पो0 01 लगायत 04, 06 व 07

दिनांकः 29.05.2024

—: निर्णय :—

अपील के संक्षेप के तथ्य इस प्रकार है कि ग्रम कुशलपुरा पटवार हल्का कुशलपुरा भू0अभि0नि0 क्षेत्र आगरिया तहसील बकानी के खाता संख्या 341 खसरा नं0 1245 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं0 1255 रकबा 0.4426 हैक्टेयर, खसरा नं0 382 रकबा 0.3035, खसरा नं0 383 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नं0 384 रकबा 0.5943 हैक्टेयर, खसरा नं0 386 रकबा 0.79667 हैक्टेयर, खसरा नं0 387 रकबा 0.1644

जिला कलक्टर
झालावाड़

हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 2.9337 हेक्टेयर कृषि आराजी स्थित है। जिसके रेस्पो0 01 लगायत 08 रेवेन्यू रिकार्ड खातेदार है। खसरा नं0 1245 एवं खसरा नं0 1255 अपील में विवादित आराजी से संबोधित किया गया है। दिनांक 02.06.1993 ग्राम विकास शिविर आगरिया में पटवार हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार पर हीरा पुत्र रामा जाति लोढ़ा (भाटिया) के नाम इन्तकाल संख्या 671 दिनांक 02.06.1993 खोल दिया गया। अपीलांट ने अपील में उल्लेख किया है कि ग्राम कुशलपुरा में हीरा पुत्र रामा जाति तंवर निवासी कुशलपुरा के नाम के दो व्यक्ति थे जिनके वारिसगण अलग–अलग थे। रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 लगायत 08 हीरा पुत्र रामा जाति लोढ़ा (भाटिया) के वारिसगण है तथा अपीलांट हीरा पुत्र रामा जाति लोढ़ा के वारिस है। विवादित प्रश्नगत आराजी खसरा नं0 1245 एवं खसरा नं0 1255 अपीलांट के पिता की गैर खातेदारी की है परन्तु एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण पटवार हल्का ने बिना जांच पड़ताल किये ग्राम विकास शिविर केम्प आगरिया दिनांक 02.06.1993 को रेस्पोंडेण्ट के पिता हीरा पुत्र रामा जाति लोढा (भाटिया) के नाम गलत इंतकाल संख्या 671 तस्दीक कर दिया जबकि विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता का कब्जा सन् 1980 के पूर्व से फोत होने तक रहा तथा उसके बाद अपीलांट वर्तमान भी काबिज है लेकिन पटवारी हल्का द्वारा विवादित आराजी रेस्पोंडेण्ट के पिता अन्य खाते की आराजी के साथ एक ही नाम होने से उनके खाते दर्ज कर दी गई। अपीलांट के पिता को देहानत हो चुका है तथा रेस्पोंडेण्ट ने विवादित आराजी पर इतकाल संख्या 1591 दिनांक 21.02.20214 को खुलवा लिया जिसकी जानकारी अपीलांट को सन् 2017 में नकले प्राप्त करने पर सारे तथ्य और स्थिति की त्रुटि का पता लगा। अपीलांट ने रेस्पोंडेण्ट को त्रुटि के संबन्ध में सारी बातें बताई तो रेस्पोंडेण्ट ने जवाब दिया कि यह सारी आराजी तुम्हारी है हम कहां छीन रहें है तुम्हारा ही कब्जा है और उसी हिसाब से दोनों पक्षों में सहमति बनी थी तथा कब्जा अनुसार कृषि कार्य कर रहें है। वाद कारण रेस्पोंडेण्ट 01 लगायत 08 के मन में बदनियति आने पर उत्पन्न हुआ। अपील पेश कर निवेदन किया है कि इंतकाल संख्या 671 दिनांक 02.06.1993 जो पटवार हल्का कुशलपुरा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर बिना जांच पड़ताल किये खोला गया है उसे अपास्त फरमाया जावे तथा पुनः जांच करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो0 01 लगायत 04, 06 व 07 की ओर से वकील श्री अमरसिंह लववंशी, श्री मुकेश लोधा का वकालतनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बकानी से रिकार्ड एवं मोका स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई जो शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस उपयपक्ष में रखी गई।

वकील अपीलार्थी ने बहस से पूर्व एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सपठित धारा 107 सिविल प्रकिया संहिता बाबत स्थानीय अन्वेंषण करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने का पेश किया जिसमें एक ही नाम व जाति के दो व्यक्ति होने से यह त्रुटि उत्पन्न हुई है तथा आवंटन अधिनियम 1970 के नियम 14(4) की शर्तों का पालन भी अपीलार्थी व उसके पिता द्वारा किया गया है रेस्पोंडेण्ट द्वारा नहीं किया गया इसलिए भी अपीलार्थी खातेदारी पाने का अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील रेस्पोंडेण्ट को दिलवाई गई तथा वकील रेस्पोडेण्ट ने जवाब दिये बगैर अपील एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिरह कर बताया कि तहसीलदार तहसील बकानी द्वारा प्रस्तुत मोका एवं जांच रिपोर्ट भिजवाई है वह सही है तथा रेस्पोंडेण्ट संख्या 01 लगायत 08 के द्वारा

जिला कलक्टर
झालावाड़

मोके पर काश्त की जा रही है। वकील अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सपठित धारा 107 सिविल प्रकिया संहिता बाबत स्थानीय अन्वेंषण करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने का खारिज किया जावे तथा रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में खोला गया इंतकाल 671 दिनांक 02.06.1993 विधि सम्मत है। वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विवादित आराजी खसरा नं0 1245 एवं 1255 अपीलांट के पिता की गेरखातेदारी की है परन्तु एक ही नाम के दो व्यक्ति होने के कारण पटवारी हल्का ने बिना जांच पड़ताल के ग्राम विकास शिविर केम्प आगरिया में दिनांक 02.06.1993 को रेस्पोंडेण्ट के पिता हीरा पुत्र रामा जाति लोढा (भाटिया) के नाम गलत तरीके से इंतकाल संख्या 671 तस्दीक कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है शेष खसरा नम्बरों के संबध में अपीलांट को किसी भी तरह का अनुतोष अपेक्षित नहीं है।

बहस वकील उभयपक्षकारान की सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 26 नियम 09 सपठित धारा 107 सिविल प्रकिया संहिता बाबत स्थानीय अन्वेंषण करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने बाबत का अवलोकन किया जो न्यायिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं होने पर सिरे खारिज किया जाता है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड तथा मोका रिपोर्ट तहसीलदार बकानी का भी अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि अपीलांट एवं रेस्पोंडेण्ट जिस खसरा नं0 1245 एवं 1255 के संदर्भ में खोले गए इंतकाल 671 दिनांक 02.06.1993 के विवाद को लेकर आये है वह समान नाम, समान पिता के नाम, समान जाति एवं एक ही गांव के निवासी होने से संदेह के दायरे में आते है एवं दौराने तस्दीक नामान्तकरण त्रुटि होने की संभावना बनती है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। पूर्व में खोले गए इंतकाल संख्या 671 दिनांक 02.06.1993 निरस्त करते हुए पत्रावली तहसीलदार बकानी को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षकारों को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर देते हुए बाद जांच विधि द्वारा सुस्थापित प्रकिया के तहत नये सिरे से नामान्तकरण वैद्य पक्षकारों के पक्ष में खोला जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार तहसील बकानी को भिजवाये जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़